न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई॰ए॰एस

प्रकरण संख्या **65 / 2017** अपील (राजस्व)

श्रीमती युमनाशंकर आत्मज स्व. श्री नन्दकिशोर पालीवाल, निवासी लखावली, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)

—— **अपीलान्ट**

बनाम

1. श्रीमती प्रेमलता पुत्री श्री नन्दकिशोर ब्राम्हण पत्नि श्री शान्तिलाल, निवासी सियालपुरा, लखावली तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती निर्मला पुत्री श्री नन्दकिशोर ब्राम्हण पत्नि श्री ओमप्रकाश, पालीवाल, निवासी सियालपुरा, लखावली तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती भुवनेश्वरी पुत्री श्री नन्दकिशोर ब्राम्हण पत्नि श्री अम्बालाल पालीवाल, निवासी रामा तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)
4. सरकार जरिये तहसीलदार बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)

—— **रेस्पोडेन्टगण**

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश तहसीलदार बड़गॉव प्रकरण संख्या 07 / 2012 दिनांकित 15.12.2017

उपस्थित : श्री सम्पतलाल बोहरा, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री हनुमान प्रसाद शर्मा, रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3
श्री मनोज कुमार पॅवार, रेस्पोडेंट सख्या 4

निर्णय

दिनांकः—12.04.18

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 व 3 सगे भाई बहन होकर उनके पिता स्व. श्री नन्दकिशोर के खातेदार की कृषि भूमि आराजी संख्या 3595 क्षेत्रफल 0.09 है. राजस्व ग्राम लखावली तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर में स्थित हैं। पक्षकारो के पिता की मृत्यु दिनांक 12. 03.2011 को होने के पश्चात् प्रत्यर्थी संख्य 1, 2 व 3 ने स्व. श्री नन्दकिशोर जी द्वारा अपने पक्ष में निष्पादित कथित अपंजीकृत वसीयत दिनांकित 19.12. 2009 के आधार पर भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम पर खुलवाने का एक आवेदन पत्र तहसीलदार बड़गॉव के समक्ष प्रस्तुत किया। तहसीलदार बड़गॉव ने अपने आदेश दिनांक 29.07.2013 द्वारा वसीयत अपंजीकृत तथा अपीलार्थी

की आपत्तियो के कारण प्रत्यर्थीगण का नामान्तरकरण खुलवाने संबंधित प्रार्थना पत्र अपास्त कर दिया। तहसीलदार बड़गॉव के उक्त उल्लेखित आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थीगण ने जिला कलक्टर, उदयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसके प्रकरण संख्या 18/2014 से जिला कलक्टर उदयपुर ने अपने आदेश दिनांक 28.10.2014 द्वारा प्रकरण को उभयपक्षकारो को पर्याप्त अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर विस्तृत आदेश पारित करने के निर्देश के साथ प्रकरण को तहसीलदार बड़गॉव के समक्ष प्रतिप्रेषित किया। जिला कलक्टर उदयपुर के इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय सम्भागीय आयुक्त उदयपुर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की जिसके प्रकरण संख्या 60/15 पंजीबद्ध होकर अपने निर्णय दिनांक 10.10.16 द्वारा माननीय सम्भागीय आयुक्त ने जिला कलक्टर, उदयपुर के निर्णय को यथावत रखते हुए तहसीलदार बड़गॉव को नियमानुसार जॉच के उपरान्त नामान्तरकरण प्रकरण में आदेश पारित करने हेतु आदेशित किया। तहसीलदार बड़गॉव ने अपीलाधीन निर्णय दिनांकित 15.12.17 द्वारा प्रत्यर्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए विवादित भूमि के संबंध में स्व. श्री नन्दकिशोर के बजाय वसीयत के आधार पर तीनो प्रत्यर्थीगण का राजस्व अभिलेखो में बराबर हिस्सा दर्ज करने का आदेश दिया हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने विधि, नियमो एवं मौके पर अपीलार्थी के कब्जे की जॉच किये बिना एक अपंजीकृत वसीयत के आधार पर प्रत्यर्थीगण के पक्ष में अपीलाधीन भूमि का नामान्तरकरण खोलने का आदेश देने में गम्भीर विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटी कारित की हैं। अधिनस्थ तहसीलदार ने अपीलार्थी को साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना त्रुटीपूर्ण आदेश पारित किया है जबकि मौके पर अपीलार्थी ने रबी की फसल बो रखी है तथा उसका भौतिक आधिपत्य हैं। माननीय अधिनस्थ तहसीलदार ने केवल प्रत्यर्थीगण के शपथ पत्रो पर विश्वास कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में गम्भीर विधिक त्रुटी कारित की हैं। इन शपथ पत्रो पर अपीलार्थी को प्रतिपरीक्षा का कोई अवसर नही दिया गया। प्रत्यर्थीगण स्वयं कथित वसीयत की लाभार्थी हैं। अतएव उनके शपथ पत्रो की सत्यता पर विश्वास नहीं किया जा सकता हैं। माननीय अधिनस्थ तहसीलदार ने अपीलार्थीगण को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने का भी अवसर प्रदान नहीं किया। अपीलार्थी की कथित वसीयत के विरूद्ध प्रारम्भ से ही आपत्तियॉ रही है कि यह वसीयत कुटरचित होकर एवं अपंजीकृत दस्तावेज है, जिसके संबंध में किसी सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा भी कोई घोषणात्मक डिक्री अथवा प्रोबेट प्राप्त नही हुआ हैं। भू. अभिलेख नियमो के अन्तर्गत भी जहॉ वसीयत अपंजीकृत होकर विवादीत हो, उसके संबंध में नामान्तरकरण की

राजवित्तीय प्रक्रिया में निर्णय पारित नहीं किया जा सकता हैं। जहॉ पर वसीयत का निष्पादन एवं सत्यता विवादीत हो तो ऐसे जटिल एवं गम्भीर प्रश्नो का निस्तारण विधिवत साक्ष्य के उपरान्त सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता हैं। विधि एवं साक्ष्य का निर्वचन एवं विवेचना नामान्तरकरण की संक्षिप्त प्रक्रिया में माननीय अधिनस्थ तहसीलदार को करने की कोई विधिक शक्ति प्राप्त नहीं हैं। माननीय अधिनस्थ तहसीलदार का निर्णय स्वतंत्र एवं निष्पक्ष साक्ष्य व विधि के स्थापित सिद्धांतो के विपरीत होकर केवल कल्पनाओ एवं अनुमानो के आधार पर पारित किया गया हैं जो कि अपास्त किये जाने योग्य हैं। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर तहसीलदार बड़गॉव के अपीलाधीन निर्णय को अपास्त कराया जावें एवं जब तक सक्षम सिविल न्यायालय से कथित वसीयत की सत्यता घोषित नहीं हो जाये तब तक स्व. श्री नन्दकिशोर के सभी उत्तराधिकारीयों के नाम से नामन्तरकरण खुलवाये जान हेतु माननीय तहसीलदार बड़गॉव को आदेशित कराया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेंटगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

पत्रावली में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी के पिता नन्दकिशोर जी के तीन पुत्रियॉ क्रमशः प्रेमलता, भुवनेश्वरी एवं निर्मला देवी तथा एक पुत्र स्वयं अपीलान्ट यमुनाशंकर हैं। नन्दकिशोर जी द्वारा अपने जीवनकाल में ही एक वसीयत दिनांक 29.12.2009 को निष्पादित किया गया परन्तु निष्पादित वसीयत अनरजिस्टर्ड डॉक्युमेन्ट हैं। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेंटगण सगे भाई बहन हैं। वसीयत में अंकित भूमि मौरूसी सम्पत्ति हैं। मौरूसी सम्पत्ति होने से सभी का समान हिस्सा हैं। मात्र रेस्पोडेंटगण को वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं था। वसीयत विवादीत होने से सिविल न्यायालय से उसकी प्रमाणिकता साबित करायी जाना अतिआवश्यक हैं। प्रकरण में पूर्व में भी अधिनस्थ न्यायालय के आदेश के विरूद्ध न्यायालय आप में अपील प्रस्तुत की गई थी। जिसमें न्यायालय आप द्वारा दिनांक 28.10.14 को प्रकरण में उभयपक्षकारो को पर्याप्त अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर विस्तृत आदेश पारित करने के निर्देश अधिनस्थ न्यायालय को प्रदान किये गये थे। जिसकी रेस्पोडेंटगण द्वारा द्वितीय अपील माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त में की गई। जिनके द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश को यथावत रखा गया। परन्तु

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कोई जॉच नहीं की गई। नामान्तरकरण खोलने का आदेश देने में गम्भीर विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटी कारीत की हैं। अपीलान्ट को कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया। जबकि वादग्रस्त भूमि में अपीलार्थी ने रबी की फसल बो रखी हैं। भौतिक रूप से अपीलान्ट का कब्जा हैं। प्रस्तुत शपथ पत्रो पर प्रतिपरीक्षा का कोई अवसर प्रदान नहीं दिया गया। जबकि अपीलार्थी भी स्वयं कथित वसीयत का लाभार्थी हैं। वसीयत कुटरचित होकर एक अपंजीकृत दस्तावेज हैं। जिसका सिविल न्यायालय से कोई प्रोबेट प्राप्त नहीं किया हैं। भू. अभिलेख नियमो के अन्तर्गत भी जहॉ वसीयत अपंजीकृत होकर विवादीत हो उसके संबंध में नामान्तरकरण की राजवित्तीय प्रक्रिया में निर्णय पारित नहीं किया जा सकता हैं। यदि वसीयत का निष्पादन एवं सत्यता विवादीत हो तो ऐसे जटिल एवं गम्भीर प्रश्नो का निस्तारण विधिवत साक्ष्य के उपरान्त सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता हैं। विधि एवं साक्ष्य का निर्वचन एवं विवेचना नामान्तरकरण की संक्षिप्त प्रक्रिया में माननीय अधिनस्थ तहसीलदार को करने की कोई शक्तियॉ प्राप्त नहीं हैं। अपने कथनो की ताईद में आर आर टी 2017 (2) पेज 1279, आर आर टी 2014 (1) पेज 196, आर आर डी 1995 पेज 27, आर आर टी 2004 (2) पेज 1140, आर आर टी 2005 (2) पेज 1330, आर बी जे 2005 पेज 412, आर बी जे 2008 पेज 67, आर आर टी 2006–07 supp पेज 277, आर आर टी 2009 (1) पेज 685, आर आर टी 2009–10 supp पेज 61, आर आर डी 2009 पेज 183, आर आर डी 2004 पेज 727 की नजीरे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वसीयत अनरजिस्टर्ड है जो संदेहास्पद होने से सिविल न्यायालय से वसीयत की सत्यता घोषित नहीं हो तब तक स्वर्गीय नन्दकिशोर जी के सभी उत्तराधिकारीयो के नाम से नामान्तरकरण खोले जाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को आदेशित करें।

विद्ववान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 द्वारा अपीलार्थी के कथनो का विरोध करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंटगण स्वर्गीय नन्दकिशोर जी की पुत्रियॉ हैं। जिनके नाम पर अपने जीवनकाल में ही दिनांक 29.12.2009 को एक वसीयत का सम्पादन कर ग्राम लखावली की आराजी संख्या 3595 रकबा 0.09 हैक्टर भूमि एवं बैंक में जमा धनराशि एवं सोने चांदी की रकम का वसीयतनामा हम रेस्पोडेंटगण के पक्ष में निष्पादित कर दिया था। स्वर्गीय नन्दकिशोर जी की मृत्यु दिनांक 12.03.11 को हो चुकी हैं। वसीयतनामे के आधार पर वर्णित आराजीयात अपने नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने हेतु

नियमानुसार अधिनस्थ न्यायालय को प्रस्तुत किया। जहॉ पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विस्तृत जॉच कर वसीयत की सत्यता के संबंध में पुष्ट प्रमाणो के आधार पर ही रेस्पोडेंटगणो के नाम पर वसीयत में दर्ज भूमि को राजस्व अभिलेख में अंकित करने के आदेश प्रदान किये गये हैं। पूर्व में तहसीलदार बड़गॉव द्वारा प्रदान किये गये आदेश दिनांक 29.07.13 के विरूद्ध अपील भी रेस्पोडेंटगण द्वारा न्यायालय आप में प्रस्तुत की गई थी जिसमें न्यायालय आप द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि विवादीत भूमि स्वर्गीय नन्दकिशोर जी की स्वअर्जित है या पैतृक है एवं वसीयतनामे को साबित करने हेतु उभयपक्ष को पर्याप्त अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर विस्तृत आदेश पारित किये जाने के आदेश दिये गये थे जिसकी अपील भी अपीलार्थी द्वारा माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त के न्यायालय में की गई थी। जिसमें भी श्रीमान के आदेश को यथावत रखा गया हैं। जिसकी अनुपालना में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा प्रकरण में विस्तृत जॉच कर अपीलार्थी को साक्ष्य सबुत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया। उसके उपरान्त ही गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए वसीयत के आधार पर वसीयतगृहिता के पक्ष में वसीयत में अंकित भूमि को दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत आदेश विधि में प्रदत्त नियमो के अनुसार होने से अपील अपीलार्थी खारीज फरमायी जावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नजीरो का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन एवं बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को साक्ष्य सबुत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया हैं। उसके उपरान्त भी अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में ऐसे कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे प्रथम दृष्ट्या यह साबित होता हो कि वादग्रस्त वसीयत स्वर्गीय नन्दकिशोर जी द्वारा सम्पादित नहीं की गई हो। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत पर अंकित दोनो गवाहो के भी बयान लिये गये हैं। जिसमें दोनो गवाहानो द्वारा अपने बयान में वसीयत का सम्पादन करना स्वर्गीय नन्दकिशोर जी द्वारा ही बताया गया हैं। जहॉ तक कानुनी प्रावधानो का प्रश्न हैं। वसीयत का रजिस्टर्ड होना कोई आवश्यक नहीं हैं। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न राजस्व अभिलेख की नकलो के आधार पर यह स्पष्ट जाहीर होता हो कि आराजी नम्बर 3595 रकबा 0.0900 हैक्टर के साबिक नम्बर 979मी. रकबा 22 बिस्वा में से 0.19 बिस्वा भूमि का

रेग्यूलाईजेशन नन्दकिशोर जी के नाम पर हुआ था। जिससे यह भी स्पष्ट जाहीर है कि यह भूमि उनकी स्वअर्जित सम्पत्ति थी। जिसका दान बैह बक्षीस वसीयत करने का उनको पूर्ण अधिकार था। अपीलार्थी का यह कथन कि वसीयत अनरजिस्टर्ड होकर कूटरचित दस्तावेज हैं। कूटरचित दस्तावेज के संबंध में जॉच करने की अधिकारीता इस न्यायालय को नहीं होकर मात्र सिविल न्यायालय को ही हैं। इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय के विनम्र मत के अनुसार अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बड़गॉव द्वारा दिया गया आदेश दिनांक 15.12.17 विधिक प्रावधानो के तहत होकर पारित आदेश विधि सम्मत होने से हम उसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है अतः अपील अपीलान्ट को इसी स्तर पर खारीज किया जाता है।

निर्णय की प्रति मय तलबिदा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर